भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3510**

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

**व्यापार करने में सुगमता पर जीएसटी का प्रभाव**

**†3510. श्री रवि किशनः**

**श्री रामदास सी. तडसः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से भारत में व्यापार करने की सुगमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यापार करने में आसानी और जीएसटी को सरल बनाने की दृष्टि से जीएसटी को लागू करने के बाद जीएसटी में कितनी बार संशोधन किए गए हैं और उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनकी मांगों पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)**

(क) तथा (ख): जी नहीं। जीएसटी के लागू किये जाने से वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय बाजार पैदा हो गया है जिससे भारत में व्यापारियों के अनुकूल वातावरण पैदा हुआ है। जीएसटी के अतंर्गत पंजीकरण, रिटर्न को भरे जाने रिफण्ड और कर के भुगतान को सरल बनाने और इनको स्वचालित बनाने से करदाताओं के लिए ईज ऑफ डूयिंग बिजनेस की स्थिति ऊभर कर सामने आयी है। 17 अप्रत्यक्ष करों और 13 उपकरों को मिलाकर एकल कर बना दिया गया है जिससे करों के बहु-आयामी होने की समस्या कम हो गयी है और इससे भारत में ईज ऑफ डूयिंग बिजनेस में सकारात्मक योगदान मिला है।

(ग) तथा (घ): केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 में केन्द्रीय माल एवं सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 31) के द्वारा संशोधन किया गया है जिसको दिनांक 30.08.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया था। इसके अलावा 11.07.2019 तक केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 में कुल 32 संशोधन किये जा सके हैं।

इन संशोधनों को केन्द्रीय माल एवं सेवाकर परिषद की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, जो कि अपनी सिफारिश देते समय विभिन्न स्टेक होल्डरों जैसे कि व्यापार एवं औद्योगिक निकायों, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों (पीएसयू) आदि से प्राप्त इनपुट/फीडबैक पर भी विचार करती है।

*****